छत्तीसगढ़ शासन
वित्त ,वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29.10.2001

क्रमांक एफ–10-385/2001/वा.क./पांच(60)–चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यवसायी, जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा इमारती लकड़ी (अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान क्रय की गई) का विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किये गये ऐसे विक्रय के टर्न ओवर पर देय कर की गणना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 31.3.2002 तक की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत की दर से की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic and Statistics &
20-Point Programme Implementation
Department
Mantralaya

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29.10.2001

No.F-10-35/2001/CT/V([illegible])-Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of Section 8 of the said Act, by any dealer having his place of business in the state of Chhattisgarh in respect of sales of Timber (purchased in the course of interstate trade or commerce) by him from any such place of business in the course of interstate trade or commerce, shall, with effect from the date of publication in the official Gazette, till 31.3.2002, be calculated at the rate of one percent on his turnover of such sales.

In order and in name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary